न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मालूराम बनाम [illegible] तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज लै० प्रा० पत्र मु. नं. - 124/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
12-1-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-1-24 को पेश हो। [signature]	
29-1-24	अवकाश होने के कारण पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 7-2-24 को पेश हो। [signature]	
7-2-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 9-2-24 को पेश हो। [signature]	
09.02.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में —लगातार—	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	आवश्यक तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला – नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 124 / 2023
जी0सी0एम0एस नम्बर :– 2023 / 1170
दायर दिनांक :– 18.10.2023
निर्णय दिनांक :– 09.02.2024

उनवान प्रकरण

1. भागूराम पुत्र नाथूराम, जाति जाट, निवासी भोजलाई जोहडे के पास, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0।
2. बंशीधर पुत्र नाथूराम, जाति जाट, निवासी भोजलाई जोहडे के पास,श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0।

:– प्रार्थीगण –:

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार, श्रीमाधोपुर नीमाकाथाना

:– अप्रार्थी –:

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी

उपस्थितिः–
1. श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत अभिभाषक –प्रार्थीगण की ओर से ।
2. तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं. 01 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:34 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में [illegible] प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खाता संख्या 364 में अंकित खसरा नम्बर 2363

09/02/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 2364 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2365 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2366 रकबा 2.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 2367 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 2368 रकबा 0.97 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 4.78 हैक्टर तन श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना में स्थित होकर खातेदारी प्रार्थीगण के साथ अन्य कुल 9 खातेदारान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/4 – 1/4 दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। जिसमें से उक्त खसरा नम्बर 2365 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2366 रकबा 2.13 हैक्टर व खसरा नम्बर 2367 रकबा 0.02 हैक्टर बाहमी बंटवारे में हम प्रार्थीगण के हक हिस्से में आये है। जिस पर हम वक्त बुर्जुगान से काबिज होकर काश्त चले आ रहे है। शेष खसरा नम्बर 2363 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 2364 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2368 रकबा 0.97 हैक्टर में हमारे अलावा जमाबन्दी अनुसार शेष खातेदारान काबिज काश्त हैं। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/7018 दिनांक 02.08.2018/16.10.2018 के द्वारा मुकदमा संख्या 62/2018 जी.सी.एम.एस. संख्या 2018/00513 उनवानी प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रचलित रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड बाबत है। जिसमें कथित प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड अंकन कराने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1407/राजस्व/2018 दिनांक 30.07.2018 द्वारा प्रस्ताव प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड अंकन हेतु भिजवाया गया। जिसमें राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2190, 2189, 2205, 2191, 2204, 2206, 2203, 2202, 2377, 2378, 2201, 2381/3, 2381/2, 2381/1, 2379, [illegible], 2360, 2359, 2400, 2401, 2469, 2403, 2467, 2436/1, [illegible], 2453, 2455, 2456 कुल किता 31 में से कथित रूप से [illegible] एव पुराना रास्ता बताते हुए प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible]रवाने हेतु न्यायालय में उपस्थित आयें। जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने बिना मौका निरीक्षण किये एवं बिना प्रभावित खातेदारान पक्षकारान की सुनवाई/नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:34 IST
Reason: SelfAttested

09/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

जारी किये केवल मात्र तहसीलदार श्रीमाधोपुर से भिजवाये गये प्रस्ताव अनुसार उक्त खसरा नम्बरान में प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये जो कि न्यायोचित नहीं है। उक्त पारित किये गये आदेश में नोट अंकित करते हुए यह स्पष्ट अंकन किया गया था कि "उक्त आदेश में अंकित खसरा नम्बरान में से किसी खसरा नम्बर पर यदि किसी न्यायालय/सिविल न्यायायल का स्थगन आदेश प्रभावी हो तो उक्त खसरा नम्बरान का स्थगन आदेश के निर्णय उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावें।" बाबत स्पष्ट अंकन किया गया था। उक्त पारित आदेश की सारणी के क्रम संख्या 17 पर प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 2366 रकबा 2.13 हैक्टर अंकित है। जिसके दक्षिणी सीमा पर 0.0940 हैक्टर भूमि में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये गये है लेकिन वर्तमान या पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई प्रचलित रास्ता या अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं रहा है एवं ना ही वर्तमान में है। गुगल मैप से स्पष्ट है कि यह प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 2366 की दक्षिणी सीमा पर नही होकर इसके पडौस में स्थित खसरा नम्बर 2360 (वर्तमान नया खसरा नम्बर 2797/2360) की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ आगे तक जाता है। गुगल मैप से यहा यह भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2366 रकबा 2.13 हैक्टर में से 0.0940 हैक्टर भूमि की दक्षिणी सीमा पर से जो कथित प्रचलित रास्ता बताया गया हैं। उक्त पारित आदेश में अंकित कुल 31 खसरा नम्बर में से भूमि खसरा नम्बर 2366 में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश श्रीमाधोपुर का उनवानी प्रकरण प्रभूदयाल वगै0 बनाम रामचन्द्र वगै0 में स्थगन दिनांक 27.11.2013 से स्थगन आदेश [illegible] है। इस [illegible] आदेश दिनांक 27.11.2013 व माननीय न्यायालय [illegible] नोट के कारण उक्त खसरा नम्बर 2366 में [illegible] आदेश दिनांक 02.08.2018 / 16.10.2018 की पालना में राजस्व रिकार्ड में उक्त कथित रास्ते का अंकन नहीं किया गया है। राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2018/16.10.2018 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

08/02/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

जानकारी नही हो सकी। उक्त खसरा नम्बर 2366 मे से कभी भी कोई प्रचलित रास्ता या अन्य रास्ता नही था एवं ना ही वर्तमान मे है लेकिन आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2018/16.10.2018 की ओट में ईर्ष्यावश प्रभावशाली लोगो ने प्रचलित रास्ते को गलत दिशा में अंकन करवाने का कुत्सीत प्रयास कर हमारे पुख्ता मकान को तुडवाकर उस मकान पर से रास्ता निकालने का षडयंत्र किया जा रहा है जो कि न्यायोचित नही हैं। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के आदेश कमांक/राजस्व /2018/7018 दिनांक 02.08.2018/16.10.2018 के द्वारा मुकदमा संख्या 62/2018 उनवानी प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर में कथित प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के पारित किये गये आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश की सारणी कम संख्या 17 पर अंकित भूमि खसरा नम्बर 2366 रकबा 2.13 हैक्टर में से 0.0940 हैक्टर भूमि बाबत प्रचलित रास्ता बताये जाने की हद तक निरस्त कर उक्त पारित आदेश की सारणी के कम संख्या 17 पर अंकित विवरण को हटाया जाने का संशोधित आदेश जारी किए जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय रजिस्टर्ड डाक के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 2366 कुल रकबा 2.13 हैक्टर अवस्थित तन [illegible] श्रीमाधोपुर की मौका स्थिति की रिपोर्ट भू अभि[illegible] गई। जिस पर भू0 अभिलेख निरीक्षक [illegible] sp-1/ भू.अ. /23 दिनांक 25.10.2023 के द्वारा मौका जांच रिपोर्ट इस न्यायालय को [illegible]वाई गई। जिसमें भू. अभिलेख निरीक्षक श्रीमाधोपुर ने जॉच रिपोर्ट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

02/02/24

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

अवगत कराया कि ग्राम श्रीमाधोपुर के मय हल्का पटवारी के मौका निरीक्षण करने पर मौके पर खसरा नम्बर 2366 रकबा 2.13 हैक्टर के दक्षिण दिशा व खसरे की सीमा में से कोई रास्ता नहीं गुजर रहा हैं। मुताबिक रिकार्ड भी भूमि खसरा नम्बर 2366 में कोई प्रचलित मार्ग नहीं कटा हुआ हैं। खसरा नमबर 2366 की दक्षिण दिशा में खातेदार भागूराम पुत्र नाथूराम का आवासीय मकान बना हुआ हैं। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा भू. अभिलेख निरीक्षक श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, नजरी नक्शा ट्रेस, गुगल मैप व मैप में खसरा नम्बर 2366 का नक्शा, उपखण्ड अधिकारी का आदेश व आदेश की पालना में नजरी नक्शे में काटे गये रास्ते, रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक श्रीमाधोपुर इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनमें भू. अभिलेख निरीक्षक श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 2366 रकबा 2.13 हैक्टर के मौके पर दक्षिण दिशा व खसरे की सीमा में से कोई रास्ता नहीं होना स्पष्टतः प्रकट होता हैं। मुताबिक रिकार्ड भी भूमि खसरा नम्बर 2366 में कोई प्रचलित मार्ग कटा हुआ नहीं होना प्रतीत होता है। खसरा नमबर 2366 की दक्षिण दिशा में खातेदार भागूराम पुत्र नाथूराम का आवासीय मकान बना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

हुआ स्पष्ट प्रकट होता है। जिससे उक्त रास्ता मौके पर बन्द होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मुकदमा संख्या 62/2018 जीसीएमएस संख्या 2018/00513 उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर में आंशिक संशोधन करते हुए प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2366 रकबा 2.13 हैक्टर मे से 0.0940 हैक्टर भूमि बाबत प्रचलित रास्ता बताये जाने की हद तक निरस्त (जो आदेश की कम संख्या 17 पर अंकित है) किया जाकर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि की आदेश दिनांक 16.10.2018 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मुकदमा संख्या 62/2018 जीसीएमएस संख्या 2018/0513 उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर में आंशिक संशोधन करते हुए प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2366 रकबा 2.13 हैक्टर मे से 0.0940 हैक्टर भूमि बाबत प्रचलित रास्ता बताये जाने की हद तक निरस्त (जो आदेश की कम संख्या 17 पर अंकित है) किया जाता है तथा इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:34 IST
Reason: SelfAttested

09/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2366 रकबा 2.13 हैक्टर मे से 0.0940 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस से गैर मुमकीन प्रचलित रास्ता हटाया जाकर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि की इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2018 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल की जाती है तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में आवश्यक तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

09/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:34 IST
Reason: SelfAttested